

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय
:: संशोधित आदेश ::

भोपाल, दिनांक 18-08-2023

क्रमांक एफ-5-6/2017/42-1:: राज्य शासन एतद् द्वारा "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" के विभागीय एकजाई आदेश 05.06.2018 की कंडिका 2.2 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है:-

"विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 8 लाख रुपये से कम हो,

परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय रुपये 8.00 लाख तक है तथा वे बी.पी.एल. कार्डधारी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं तथा जो कंडिका क्रमांक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 में उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, को विशेष प्रकरण मानते हुये इनके संबंध में विभाग, समन्वय में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें योजना में सम्मिलित कर सकेगा।

परन्तु, ऐसे विद्यार्थियों को जिन्हें योजना में एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के पश्चात् यथा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन आय की सीमा रुपये 8.00 लाख से अधिक होने पर भी पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक योजना के लाभ की पात्रता होगी।"

उक्त संशोधन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(मनु श्रीवास्तव)

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

//2//

भोपाल, दिनांक 18-08-2023

पृ.क्रमांक एफ-5-6/2017/42-1

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
 2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
 3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
 4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
 5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/पशुपालन विभाग।
 6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग।
 7. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., सतपुड़ा भवन, भोपाल को अनुरोध है कि संशोधन अनुसार पोर्टल में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही करें।
 9. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
 10. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
 11. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 12. आयुक्त, कोष एवं लेखा भोपाल।
 13. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 14. स्टाफ पंजी
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 अपर मुख्य सचिव
 मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग